

-:: संपरिवर्तन आदेश ::-

मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड ऐज्यूकेशन सोसायटी रॉयल कॉम्प्लेक्स अनाज मण्डी के पास लिंक रोड बगरू सांगानेर जयपुर जरिये अध्यक्ष सचिव बाबूलाल देवन्दा पुत्र माधोराम देवन्दा जाति जाट निवासी प्लॉट नंबर 53, सुन्दर नगर, मांग्यावास, मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर एवं बजरंग लाल भाखर पुत्र श्री महोदय भाखर जाति जाट निवासी भाखरो की ढाणी ग्राम सिराणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर की ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राज0 स्थित खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 संशोधित 2016 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियों नीचे दी गई हैं:-

- 1 आवेदक खातेदार अभिधारी का पूरा नाम व पता
- 2 क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य हैं, हाँ/नहीं
- 3 संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा (क) ग्राम/ ग्राम पंचायत / तहसील का नाम

- मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड ऐज्यूकेशन सोसायटी रॉयल कॉम्प्लेक्स अनाज मण्डी के पास लिंक रोड बगरू सांगानेर जयपुर जरिये अध्यक्ष सचिव बाबूलाल देवन्दा पुत्र माधोराम देवन्दा जाति जाट निवासी प्लॉट नंबर 53, सुन्दर नगर, मांग्यावास, मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर एवं बजरंग लाल भाखर पुत्र श्री महोदय भाखर जाति जाट निवासी भाखरो की ढाणी ग्राम सिराणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर

- नहीं

- ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राज0

ख.नं	कुल रकबा मेंसे	समपरिवर्तन क्षेत्र व.मी.	कुल योग व. मी.
591/5	02-08-15	3945.54	3945.54
591/11	01-01-00	1699.68	1699.68
591/13	01-15-18	2905.52	2905.52
योग	05-15-13	8550.99	8550.99

(ख) भूमि की खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (व.मी.में)

ख.नं	कुल रकबा मेंसे	समपरिवर्तन क्षेत्र व.मी.	कुल योग व. मी.
591/5	02-08-15	3945.54	3945.54
591/11	01-01-00	1699.68	1699.68
591/13	01-15-18	2905.52	2905.52
योग	05-05-13	8550.99	8550.99

(ग) प्रत्येक ख.सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (व.मी.में)

टिप्पणी - अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न हैं।

- 4 संपरिवर्तन का प्रयोजन
- 5 संदेय प्रीमियम की दर
- 6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम
- 7 चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, कि जमा करायी गयी रकम
- 8 चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा करायी गयी रकम
- 9 क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया गया है
- 10 अन्य विशिष्टियों, यदि कोई हो

- संस्थानिक प्रयोजनार्थ

-

डी.एल.सी दर का 10% की दर से
8550.99X47.3 = 404428.0 यानि 404428 रुपये
निर्माण 1778.34 वर्गमीटर प्रीमियम का 3 गुना - 252346.45
कुल प्रीमियम - 656774.45 यानि 656775

- चालान संख्या 19955253/04.12.2017
जमा दिनांक 04.12.2017 द्वारा 611775/-
सुमोटो चालान संख्या 8685986/10.12.2015
जमा दिनांक 10.12.2015 द्वारा 45000/
यानि कुल जमा राशि 656775/-

- उपरोक्तानुसार

- नहीं

- नहीं

- नहीं

**उप पजीयक
रूपनगढ़ (अजमेर)**



11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा -

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक/एफ0-6 (6) राजस्व-6/92 पी0टी0/4 जयपुर दिनांक 18.01.2012 में अंकित बिन्दु संख्या 7 एवं 8 एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.10.2016 की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
3. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराई गई प्रीमियम धन समेत (समपहृत) हो जायेगी तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक/एफ0-6 (6) राजस्व-6/92 पी0टी0/4 जयपुर दिनांक 18.01.2012 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
5. संपरिवर्तित भूमि ग्रामीण रास्ते से लगवा है। संपरिवर्तित भूमि उक्त सड़क के मध्य से 18 मीटर दूर पर स्थित है। उक्त सड़क के मध्य से इण्डियन रोड कांग्रेस के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 25 मीटर दूरी में आने वाला खुला क्षेत्र खसरा नम्बर 591/18 रकबा 00-02-05 एवं खसरा नम्बर 591/19 रकबा 00-01-02 आवेदक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाया गया है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 6150 दर्ज हुआ है। आवेदक द्वारा किसी भी सरकारी/गैरसरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
6. संस्थानिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
7. राज्य सरकार अथवा अंकेक्षण आक्षेप से यदि कोई राशि वसूली योग्य निर्धारित की जायेगी तो आवेदक उसे जमा कराने हेतु बाध्य होगा।
8. रूपान्तरित भूमि में आवागमन का रास्ता आवेदक अपने स्वयं के स्तर पर निर्धारण करेगा।



विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रूपनगढ़ (अजमेर)

दिनांक :- 07-12-2017

क्रमांक: सम/2017/1141-44

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है-

01. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर।
02. ग्राम पंचायत रूपनगढ़ को सूचनार्थ।
03. आवेदक श्री मनु सोशियल वेलफेयर एण्ड ऐज्युकेशन सोसायटी रॉयल कॉम्प्लेक्स अनाज मण्डी के पास लिंक रोड बगरू सांगानेर जयपुर जरिये अध्यक्ष सचिव बाबूलाल देवन्दा पुत्र माधोराम देवन्दा जाति जाट निवासी प्लाट नंबर 53, सुन्दर नगर, मांग्यावास, मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर एवं बजरंग लाल भाखर पुत्र श्री महोदय भाखर जाति जाट निवासी भाखरो की ढाणी ग्राम सिराणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर की ग्राम रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राज0
04. तहसीलदार रूपनगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त जमा राशि का सत्यापन कर उक्त आदेश का राजस्व रेकार्ड एवं मानचित्र में नियमानुसार अमल करें।



उप पंजीयक
रूपनगढ़ (अजमेर)

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)